

दिनांक : 01.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

वाद पुकारा गया।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं। थाना गोपेश्वर से वाहन की नीलम/विक्रय हेतु पत्रावली पर आख्या प्राप्त नहीं है। आख्या हेतु इन्तजार किया जाये।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 30.08.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।